प्रेस-नोट

भिवानी, 16 अगस्त, 2017 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने आज यहाँ जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि हरियाणा मुक्त विद्यालय सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा सितम्बर-2017 के लिए सी.टी.पी./एस.टी.सी./अतिरिक्त विषय/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1000/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित 24 जुलाई, 2017 निर्धारित थी। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि ऑनलाईन आवेदन हेतु 1000/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित 17 अगस्त, 2017 से 21 अगस्त, 2017 तक परीक्षार्थियों को एक मौका और दिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि न्यू सी.टी.पी. कैटेगरी हेतु आवेदन केवल वे ही परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका प्रारंभिक अनुक्रमांक सैकेण्डरी का 22 तथा सीनियर सैकेण्डरी का 32 के अंक से आरम्भ होता है अर्थात् सैमेस्टर प्रणाली से परीक्षा दी थी। केवल वे ही परीक्षार्थी न्यू सी.टी.पी. कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि जिन परीक्षार्थियों का प्रारम्भिक अनुक्रमांक 2017 व 3017 के अंक से आरम्भ होता है, ऐसे परीक्षार्थी आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे प्रारम्भिक अनुक्रमांक वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा मार्च-2018 में वार्षिक परीक्षा के साथ करवाई जायेगी तथा पहले जिन परीक्षार्थियों द्वारा न्यू सी.टी.पी. कैटेगरी सितम्बर-2017 के लिए आवेदन किया है उन्हें मार्च-2018 की परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष